ग्राम पंचायत मैलन विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना :- (क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मैलन, विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Sh. Parkash Sharma	01/2013 to 01/2016
2	Smt. Neha	23.01.2016 to till date

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Smt.Ramla Devi	01.04.2013 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:-ग्राम पंचायत मैलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैंAA A

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर बारे	1.31
2	7	ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में आय को लेखांकित नहीं किए जाने के परिमाणस्वरूप राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	0.74
3	8	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.41
4	9	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न किए जाने बारे	7.42
5	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किए जाने बारे	3.87

6	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय किए जाने बारे	9.90
7	12	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न किए जाने बारे	9.93
8	13	भुगतान किए गए क्रय बिलों/ वाऊचर इत्यादि को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित (verified) न किए जाने बारे	1.20

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मैलन, विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्धारा दिनांक 4.07.2016 से 12.07.2016 के दौरान ग्राम पंचायत थानेदार के कार्यालय में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	11/2013	3/2014
2014-15	1/2015	11/2014
2015-16	8/2015	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया हैं। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मैलन, विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10000/- बनता हैं। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र.

शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57/2016 दिनांक 11.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मैलन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मैलन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत (Own Sources):- ग्राम पंचायत मैलन के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की स्व स्त्रोत एवं Grant in Aid (Other than MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया हैं , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) पर दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया हैं तथा साथ ही MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया हैं। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts भी नहीं बनाए गए हैं। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अत: ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार प्रस्तुत वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

Financial Position of Gram Panchayat Mailan Block Narkanda Distt. Shimla

Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	1380676.60	669225.00	21867.00	2071768.60	785558.00	1286210.60
2014-15	1286210.60	727681.00	26292.00	2040183.60	919131.00	1121052.60
2015-16	1121052.60	1927570.00	22563.00	3071185.60	2329512.00	741673.60

(ख) अनुदान(Grant in Aid):- ग्राम पंचायत मैलन के अवधि 1/04/2013 से 31/03/2016 के अनुदानों (MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैं, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया हैं:-

Consolidated Financial Position of MG NREGA and Integrated Water Shed Project Grant in Aid

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	3735.00	580720.00	1749.00	586204.00	316734.00	269470.00
2014-15	269470.00	246021.00	6304.00	521795.00	365376.00	156419.00
2015-16	156419.00	45740.00	3159.00	205318.00	204572.00	746.00

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मलित किये गये हैं।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत मैलन की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित हैं। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मैलन द्वारा अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से

दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹131024 का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51-52/2016 दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था , परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को निम्न विवर्णानुसार पाए गए रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 **को अंतिम शेष** (Note :- **दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मलित किया गया है)**	**741673.60**
दिनांक 31.03.2016 को Cash in Hand और बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा	
Cash In Hand	**348.00**
Account No.50 Of HPSCBank	**263708.60**
Account No.4810 of HPSCBank	**16970.00**
Account No. 4721 of HPSCBank	**95264.00**
Account No. 3463 of UBI Bank	**381747.00**
Account No. 9326 of UBI Bank	**37983.00**
Account No. 9329 of UBI Bank	**76677.00**
Total	**872697.60**
Difference	**131024.00**

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of

Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

7 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में ₹0.74 लाख कीआय को लेखांकित नहीं किए जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

अंकेक्षण में Water Tax & House Tax से प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न रसीदों के अंतर्गत पंचायत वासियों से विभिन्न कार्यों दिवसों को Water Tax & House Tax से आय एकत्रित की गई थी, परंतु इन रसीदों से प्राप्त आय को वर्तमान समय तक न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया और न ही ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भी जमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप ₹74515 की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना प्रतीत होती हैं। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67-68ए/2016 दिनांक 11.07.2016 द्वारा इस राशि को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने और संबन्धित बैंक खाते में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे आग्रह किया गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: ₹74515 जिसे वर्तमान समय तक न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया हैं और न ही संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाया गया हैं , के बारे में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए साथ ही ₹74515 को ब्याज सहित उचित माध्यम से वसूल करके ग्राम पंचायत निधि में शीघ्र अति शीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	Receipt No.	Income Collected	Amount recorded in Cash Book	Amount not yet Recorded & Deposited into Bank Account	Remarks
11/2013	10501 to 10528	2610.00	2332.00	278.00	
	10529 to 10574	4842.00	Nil	4842.00	Date not mentioned in Receipt Book

10466 to 10475	1810.00	Nil	1810.00	Date not mentioned in Receipt Book
9622 to 9632	1470.00	Nil	1470.00	Date not mentioned in Receipt Book
9916 to 9961	9300.00	Nil	9300.00	Date not mentioned in Receipt Book
9804 to 9900	20240.00	Nil	20240.00	Date not mentioned in Receipt Book
10701 to 10800	19575.00	Nil	19575.00	Date not mentioned in Receipt Book
9701 to 9738	7000.00	Nil	7000.00	Date not mentioned in Receipt Book
410401 to 410500	10000.00	Nil	10000.00	Date & Name of Payee not mentioned in Receipt Book
Total	76847.00	2332.00	74515.00	

8 पंचायत राजस्व की ₹0.41 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की ₹0.41 लाख की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹ 7.42लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को कुल ₹742419.60 उपयोग हेतु शेष थे। इस राशि में से ₹746.00 MG NREGA और Integrated Water Shed Project से संबन्धित थी जबकि शेष ₹741673.60 स्व: स्रोत्रों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी। अत: दिनांक 31.3.2016 तक के अन्य अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के संकलित अन्तिम शेष में से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से

Lसमय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹3.87 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹387672 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.90 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्धारा ₹ 990864 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय किए गए ₹9.93लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c,एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्धारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण में क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹993670 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया हैं, को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 भुगतान किए गए ₹1.20 लाख के क्रय बिलों/ वाऊचर इत्यादि को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित (verified) न किए जाने बारे

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के दौरान परिशिष्ट 5.2 के अनुसार ₹120000 की क्रय की गई सामग्री के भुगतान बिल की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा इन भूगतानों को सत्यापित नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 क्रय बिल के भुगतान के संदर्भ में ₹500/- का अधिक भुगतान

अंकेक्षण में चयनित मासों के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न क्रय बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय बिल जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं के सम्बन्ध में ₹500.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr. No.& Date	Cash Book Page No.	Amount of Expenditure	Detail of Payment	Remarks
Nil & 11/2015	40	15000.00	P/o Aggregate 130cft & Sand 150 cft for C/o Community Centre	Bill passed for 14500.00 but payment was made for ₹15000.00

15 विभिन्न भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न भुगतान जिनका विवरण परिशिष्ट-5.3 में दिया गया हैं, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 मानदेय के रूप में ₹2000/- का अधिक भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा। यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/2015 के दौरान ग्राम सभा की कोई भी सभा आयोजित नहीं की गई थी, जबकि इस माह के लिए निर्वाचित सदस्यों को निम्न विवर्णानुसार ₹2000 के मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया था। अत: बिना सभा आयोजन के निर्वाचित सदस्यों को सभा हेतु मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Month	No. of Members	Rate per Meeting	No. of Meetings shown and paid	Amount of Honorarium paid
10/2015	5	200.00	4	2000.00

17 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित हैं , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया हैं जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों हेतु बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी । सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया हैं, तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को 8 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NREGA	इस रोकड़ बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत मैलन द्धारा हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था, जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान हैं। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत मैलन द्वारा नहीं बनाई गई थी।

अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ड़) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1/4/2015 से 31/3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय , शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मैलन द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नही ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किए जाए।

20 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

21 निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की आवश्यकता हैं।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(1)1 / 2016–खण्ड–1–4571–4575 दिनाँक 29.08.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला, हि0प्र0।

4 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मैलन विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.